



राजकीय महाविद्यालय कुचलाई

सीतापुर, उत्तर प्रदेश

(लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से सहयुक्त)

महाविद्यालय कोड : 5096

Government Degree College

Kuchlai, Sitapur (U.P.)

E-mail : principalgdckuchlai@gmail.com

Website: <https://gdckuchlai.in>

प्रवेश विवरणिका

Prospectus

सत्र : 2023-24



महत्वपूर्ण तिथियाँ

छात्र/छात्राएं नवीनतम् सूचनाओं हेतु

महाविद्यालय वेबसाइट <https://gdckuchlai.in> एवं सूचनापट्ट प्रतिदिन देखते रहें।

विश्वविद्यालय सम्बन्धी सूचनाएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट-
पर देखें।

महाविद्यालय परिवार



डॉ. अजय कुमार सैनी, प्राचार्य



डॉ. शालिनी सिंह
असि. प्रोफेसर, जंतु विज्ञान



डॉ. गगन कुमार
असि. प्रोफेसर, अर्थशास्त्र



डॉ. प्रीति बाजप्पे
एसो. प्रोफेसर, इतिहास



डॉ. रामआसरे
असि. प्रोफेसर, वाणिज्य



डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी
असि. प्रोफेसर, हिन्दी



डॉ. नेहा नागर
असि. प्रोफेसर, वाणिज्य



डॉ. मुदिविर कम़र
असि. प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र



डॉ अनुमेहा श्रीवास्तव
असि. प्रोफेसर, वाणिज्य



श्रीमती अनुभूति जैन
असि. प्रोफेसर, मनोविज्ञान



श्री माया राम
असि. प्रोफेसर, गणित



डॉ. नीतु सिंह
असि. प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान



डॉ. अनुराग सिंह
असि. प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान



डॉ. रुचि सिंह
असि. प्रोफेसर, गृह विज्ञान



श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा
कनिष्ठ सहायक



श्री आदित्य मिश्र
कनिष्ठ सहायक

महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियाँ



हमारा महाविद्यालय

मनुष्य की कारणित्री प्रतिभा (क्रियाशीलता) तथा भावित्री प्रतिभा (चिन्तनशीलता) को निखारने की सतत प्रक्रिया ही तपस्या है और यदि तपस्या किसी विशिष्ट तपस्थली में अथवा उसके सामीप्य में हो तो शीघ्र और हितकर फलदायिनी होती है। पावन नैमिषारण्य ऐसी ही विशिष्ट तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है जो साधना में रत सुपात्रों को अतिशीघ्र सिद्धि प्रदान करता है- 'तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिधि दाता'। सीतापुर जनपद के इसी पावन तीर्थाचल में स्थित है यह 'राजकीय महाविद्यालय'। यह महाविद्यालय कुचलाई ग्राम के दक्षिण पार्श्व में स्थापित है। लगभग साढ़े चार हजार जनसंख्या का यह ग्राम शिक्षा के केन्द्र (Education Hub) के रूप में विकसित हो रहा है जहाँ प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षण-संस्थान वर्तमान हैं। कुचलाई ग्राम को अपने नाम में समाहित किए हुए यह महाविद्यालय इस ग्रामीण परिक्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रकाश-स्तम्भ की भाँति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है।

राजकीय महाविद्यालय, कुचलाई, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में सिधौली तहसील-मुख्यालय से मिश्रिख - नैमिषारण्य को जाने वाले राजमार्ग पर 12 किमी. पर गोपालपुर भट्ठा नामक चौराहे के उत्तर तरफ है। राजमार्ग से महाविद्यालय की दूरी मात्र 1 किमी. है। सिधौली, मिश्रिख, सन्दना आदि निकटवर्ती कस्बों से गोपालपुर के लिए परिवहन-सुविधाएँ लगातार उपलब्ध हैं। चौराहे से महाविद्यालय तक पैदल अथवा ई-रिक्शा से पहुँचा जा सकता है। तीन ओर से आम, कटहल, अमरुद, यूकेलिप्टस, सागौन आदि के बागों तथा एक ओर से हरे-भरे खेतों के बीच शीतल-निर्मल जल से भरी रहने वाली नहर से सटकर बना हुआ यह महाविद्यालय अपने सुन्दर, स्वच्छ एवं मनोरम प्राकृतिक परिवेश से पुराने गुरुकुलों के आधुनिक स्वरूप को प्रत्यक्ष करता हुआ लगता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सुन्दर-स्वच्छ पर्यावरण अध्ययन-अध्यापन जैसी गहन मानसिक संक्रिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

राजकीय महाविद्यालय कुचलाई भारत सरकार के 'उच्चतर शिक्षा अभियान' (RUSA) के अन्तर्गत संचालित है। महाविद्यालय का लोकार्पण 3 फरवरी 2019 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी के कर-कमलों से आनलाइन सम्पन्न हुआ था। यह महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध है। वर्तमान में इस महाविद्यालय में कला संकाय के अन्तर्गत सात विषयों- हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान तथा मनोविज्ञान और वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत निर्धारित विषयों की कक्षाएँ संचालित हो रही हैं। विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, जन्तु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान विषयों की कक्षाएं भी नियमित रूप से संचालित हैं।

तरुण वय के छात्र-छात्राओं पर ही देश का सृजनशील भविष्य निर्भर करता है। अतः आवश्यक है कि छात्र-छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो। उच्च शिक्षा- संस्थान मनुष्य की प्रतिभा को निखारने, विकसित करने और सही दिशा देने के सर्वाधिक उपयुक्त मंच हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारा महाविद्यालय परिवार जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूर्ण निष्ठावान होकर इस दिशा में सदैव प्रयासरत रहता है कि महाविद्यालय आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ सार्वभौम- समाजोपयोगी मानव-मूल्यों को भी पुर्णप्रतिष्ठित करके समाज में एक आदर्श प्रस्तुत कर सके। महाविद्यालय की समस्त गतिविधियों के संचालक के रूप में हम सभी प्राध्यापक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तथा अन्य उपयोगी पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों के माध्यम से एक सुखद, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण से परिपूर्ण राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हैं जिससे भावी पीढ़ी के लिए सार्थक दायित्ववाहक एवं मार्गदर्शक होने का श्रेय प्राप्त कर सकें। यहाँ अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से भी यह अपेक्षा करते हैं कि वे महाविद्यालय में अनुशासित रहते हुए यहाँ से ज्ञान की पूँजी का अधिकाधिक अर्जन करें जिससे कि वे परिवार, समाज और देश को सुव्यवस्थित और सुसमृद्ध बनाने में सम्यक योगदान कर सकें।

सामान्य सूचना

1. महाविद्यालय को किसी भी समय प्रवेश नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन करने का अधिकार है।
2. यदि कोई अभ्यर्थी असत्य सूचनाओं / अनुचित साधनों के आधार पर अथवा फर्जी अंक-पत्र के आधार पर प्रवेश पाता है तो जिस समय भी यह तथ्य उद्घाटित होगा, उसका प्रवेश प्रारम्भ से ही निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध आई.पी.सी. की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
3. कला एवं विज्ञान संकाय में स्नातक अभ्यर्थियों का दाखिला इण्टरमीडियट में प्राप्त अंकों एवं विषयों के आधार पर लिया जायेगा।
4. वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट में वाणिज्य, गणित या अर्थशास्त्र विषय का होना अनिवार्य है।

योग्यता के क्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जायेगा :-

1. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने मेरिट सूची में बराबर अंक / श्रेणी प्राप्त किये हैं तो प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होगा।
2. यदि अभ्यर्थी के इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्तांक बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसके हाईस्कूल परीक्षा का अंक प्रतिशत अधिक होगा।
3. यदि हाईस्कूल में प्राप्त अंक बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
4. अभ्यर्थी योग्यता (मेरिट) के आधार पर भारण (यदि कोई है) का अधिकारी होगा।

अ. भारण : उत्कृष्ट खिलाड़ी (राज्य स्तर पर) 03 अंक, सांस्कृतिक (पिछले 03 वर्षों में) 03 अंक, एन.सी.सी. 'बी' / 'सी' प्रमाण-पत्र धारक 03 अंक, एन.एस.एस. (राज्य स्तर पर) 03 अंक, स्काउट गाइड (राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर) संकायों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को भारण के फलस्वरूप संयुक्त मेरिट में अर्जित प्राप्तांक जोड़कर उनका योग्यता क्रमांक योग्यता सूची में निर्धारित किया जायेगा तथा भारण का कुल योग 05 अंक से अधिक नहीं स्वीकार किया जायेगा। भारण हेतु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति अवश्य लगायें।

ब. आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार / लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत दिया जायेगा।

5. महाविद्यालय के पास किसी भी प्रवेशार्थी के प्रवेश को किसी भी अवस्था में निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
6. प्रवेश से सम्बन्धित अध्यादेश के प्राविधानों के प्रतिपादन के सम्बन्ध में सभी विवाद महाविद्यालय की प्रवेश समिति को सौंपे जायेंगे और उनका निर्णय अन्तिम तथा मान्य होगा।
7. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयागराज अथवा नदवा कालेज, लखनऊ से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने यदि अंग्रेजी भाषा के साथ इण्टरमीडियट स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है तो प्रवेश हेतु अहं नहीं होंगे।
8. प्रवेश प्रक्रिया के लिए यू.जी.सी. के सुसंगत नियम (समय-समय पर संशोधित) बाध्यकारी होंगे।
9. काउंसलिंग की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों (जिन्होंने निर्धारित समय में अपनी उपरिथिति की सूचना दी है) को उनकी ऐक व विषयों की तत्क्षण उपलब्धता के आधार पर, विषयों का आवंटन किया जायेगा। किसी भी आवंटित विषय का बाद में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। विलम्ब से अपनी उपरिथिति की सूचना देने वाले उच्चतर मेरिट के अभ्यर्थी, यदि उच्चतर मेरिट की सीटें भरी जा चुकी हैं, तो अपनी पसंद के विषय के आवंटन का कोई दावा नहीं कर सकेंगे। उन अभ्यर्थियों को उस समय शेष उपलब्ध विषयों के विकल्प ही उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
10. एक बार प्रवेश होने के पश्चात शुल्क की वापसी नहीं होगी।
11. प्रवेश से सम्बन्धित सभी कानूनी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

प्रवेश आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी निर्देश

1. प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन भरने से पूर्व प्रवेश विवरणिका का अध्ययन भली भाँति कर लें।
2. प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरें। कोई खाना खाली न छोड़ें। जो लागू न हो (x) कर दें। अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
3. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है :-
 - (अ) हाईस्कूल व इण्टर के अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की स्वतः प्रमाणित छाया प्रति।
 - (ब) टी0सी0 एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
 - (स) खेलकूद एवं अन्य प्रमाण पत्रों जिनका लाभ लेना चाहते हों, की छाया प्रति।
 - (द) आय एवं जाति प्रमाण पत्रों (केवल आरक्षित वर्ग के लिये) जो तहसील द्वारा बनवाया गया हो एवं **Board of Revenue** की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया हो, की छाया प्रति।
 - (य) विकलांग अभ्यर्थी लाभ लेने हेतु अपना प्रमाण पत्र संलग्न करें।
 - (र) प्रवेशार्थी को छः माह के अन्दर की 6 रंगीन फोटो लानी होंगी।
 - (ल) आधार कार्ड की छाया प्रति।
4. प्रवेशार्थी को प्रवेश के समय ही अपने विषय नियमानुसार (प्रवेश समिति द्वारा अनुमोदित) लेने होंगे। प्रवेश के बाद विषय परिवर्तन की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी।
5. वाणिज्य संकाय में जो विषय संचालित हैं उन्हीं को लेना अनिवार्य है।
6. प्रवेश हेतु साक्षात्कार की सूचना महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जायेगी। व्यक्तिगत / डाक से सूचना नहीं दी जायेगी। साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय एवं तिथि पर उपस्थित न होने की दशा में प्रवेशाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा रिक्त स्थान पर अन्य प्रवेशार्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।
7. निर्धारित तिथि तक शुल्क न जमा करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
8. साक्षात्कार के समय सभी मूल अंकपत्र, प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।
9. प्रवेश देने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है। प्राचार्य द्वारा बिना कारण बताये प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
10. विवाहित महिला अभ्यर्थी प्रवेश आवेदन पत्र में हाईस्कूल अंक पत्र के आधार पर ही पिता का नाम लिखें।

महाविद्यालय में राजातक स्तर पर संचालित विषय एवं स्वीकृत सीटों की संख्या

कला संकाय - (60 सीट प्रति विषय कुल 420 सीट)

हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान एवं गृह विज्ञान।

वाणिज्य संकाय - (60 सीट)

समर्पत अनिवार्य विषय

विज्ञान संकाय - मैथ ग्रुप 120 सीट (2 सेक्षन), बायो ग्रुप 120 सीट (2 सेक्षन)

बी.एस-सी. (गणित वर्ग)

भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित।

बी.एस-सी. (जीव विज्ञान वर्ग)

जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान।

नोट :- विषय संयोजन (समूह) विश्वविद्यालय नियमानुसार ही मान्य होंगे

प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. सभी प्रवेशार्थियों को कोविड-19 से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. फीस का निर्धारण उ.प्र. शासन एवं लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
3. प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर गठित प्रवेश समिति द्वारा योग्यता सूची एवं साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची से पूर्ण की जायेगी, जिसमें प्रत्येक श्रेणी सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / जनजाति की सूची सूचना पट्ट पर चर्चा कर दी जायेगी।
4. प्रवेशार्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा में कम से कम निम्नलिखित अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा।
 - (अ) सामान्य एवं ओ.बी.सी. वर्ग के लिए बी0कॉम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए 40% अंक
 - (ब) सामान्य एवं ओ.बी.सी. वर्ग के लिए बी.एस-सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम 40% अंक
 - (स) सामान्य एवं ओ.बी.सी. वर्ग के लिए बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यूनतम 40% अंक
 - (द) अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों के प्रवेश हेतु न्यूनतम 33% अंक अनिवार्य हैं।
5. गैप इयर हेतु निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा। प्रवेश हेतु केवल दो वर्ष का गैप अनुमन्य होगा एवं अंकों की कटौती प्रति वर्ष 05 अंक (अधिकतम 10 अंक) होगी।
6. आरक्षण शासनादेशों के अन्तर्गत दिया जायेगा। जो निम्न प्रकार है -
 - (अ) अनुसूचित जाति के लिए 21%
 - (ब) अनुसूचित जनजाति के लिए 2% तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27%
 - (स) आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 10% (EWS) आरक्षण देय होगा।
7. शासन तथा उच्च शिक्षा विभाग / विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा:-
 - (क) जो गत वर्ष किसी भी विश्वविद्यालय की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हों अथवा परीक्षा में बैठने से रोक दिये गये हों अथवा जिनका परीक्षाफल अनुचित साधन प्रयोग करने के कारण रोक दिया गया हो।
 - (ख) जिनको महाविद्यालय स्तर पर अनुशासनहीनता के लिए दोषी पाया गया हो।
 - (ग) जो किसी आपराधिक मामलों में सजायापता हों या जिन पर वर्तमान में कोई अभियोग चल रहा हो अथवा जिनका आचरण संदिग्ध हो।
 - (घ) जो निर्धारित साक्षात्कार तिथि को उपस्थित न हुए हों और अपने मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न किया हो।
 - (ङ) जिन्होंने इण्टर की परीक्षा अमान्य संस्था से उत्तीर्ण की हो।
8. उत्तर प्रदेश शासन / लखनऊ विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के प्रवेश सम्बन्धी नियमावली / आदेशों का सम्यक अनुपालन किया जायेगा।
9. प्रवेशार्थी आवेदन पत्र में अपने सक्रिय मोबाइल नं0 एवं ई-मेल आई.डी. का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।
10. नई शिक्षा नीति-2020 से सम्बन्धित पाठ्यक्रम उ.प्र. शासन / लखनऊ विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित किये जायेंगे।
11. बी.ए., बी. एस-सी., बी.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार प्रवेशित होंगे।
12. इन्टरमीडिएट / अन्तिम परीक्षा की मूल टी.सी. एवं चरित्र प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा।

क्षैतिज आरक्षण निम्न प्रकार हैं

- | | | | |
|----|---|----------------------------|--|
| 1. | लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के अध्यापकों के पुत्र / पुत्री / पत्नी / पति | | विश्वविद्यालय नियमानुसार |
| 2. | विकलांगों के लिए (दृष्टि बाधितों हेतु 01% को सम्मिलित करते हुए) | | 5% |
| 3. | स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र / पुत्री / पौत्र / अविवाहित पौत्री के लिए | | 2% |
| 4. | सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) अथवा शारीरिक रूप से विकलांग सैनिकों अथवा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों अथवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सेवारत सैनिकों के पुत्र / पुत्री के लिए 5% | | |
| 5. | प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी- | | |
| | अ. | उत्कृष्ट खिलाड़ी | सक्षम अधिकारी |
| | ब. | विकलांग | जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी |
| | स. | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी | जिलाधिकारी |
| | द. | एन.सी.सी. 'बी' प्रमाण-पत्र | सक्षम अधिकारी |
| | य. | अनुसूचित जाति | जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार। |
| | र. | अनुसूचित जनजाति | आरक्षण प्रमाण-पत्र वेबसाइट से प्रमाणित किया जायेगा। |
| | ल. | अन्य पिछड़ा वर्ग | " " " |

छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति

उत्तर प्रदेश शासन की नीतियों के अनुरूप अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के ऐसे प्रवेशार्थी को जिनके माता / पिता / अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु. 02 लाख से कम है को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति देय होती है इच्छुक छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नलिखित पत्रजात तथा प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय साथ में लाना अनिवार्य होगा।

विद्यार्थी छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित तिथि तक **online** आवेदन कर उसकी प्रिन्ट की गयी एक प्रति छात्रवृत्ति प्रभारी को समय अन्तर्गत उपलब्ध करायेंगे।

1. **bor.up.nic.in** से डाउनलोड किये गये जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़ा जाति हेतु) की स्वतः प्रमाणित प्रति।
2. माता / पिता / अभिभावक की वार्षिक आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो **bor.up.nic.in** से डाउनलोड किया गया हो, की स्वतः प्रमाणित प्रति।
3. हाईस्कूल एवं अंतिम कक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका की स्वतः प्रमाणित प्रति।
4. सीतापुर जिले में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाकर पासबुक की छाया प्रति।
5. फीस रसीद एवं आधार कार्ड की छायाप्रति
6. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन-पत्र उन्हीं छात्र / छात्राओं का महाविद्यालय द्वारा अग्रसारित किया जायेगा जिनकी उपस्थिति 75% या उससे अधिक होगी।
7. उ.प्र. शासन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी समय सारिणी / दिशा निर्देशों के अनुसार समयान्तर्गत छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र पूर्ण कर महाविद्यालय में निर्धारित तिथि से पूर्व जमा करें।
8. छात्रवृत्ति अग्रसारण उपरांत सभी अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अपना Scholarship Status जाँच लें, Suspect डाटा होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट कर उसका प्रिंट-आउट दो प्रतियों में महाविद्यालय में निर्धारित समय से पूर्व जमा करना होगा।

- छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (नवीन / नवीनीकरण) हेतु ऑनलाइन भरे गए विवरण को स्वयं जांचने हेतु प्रति का प्रिन्ट आउट निकालकर एक-एक विवरण स्वयं भली भाँति जाँच लें एवं छात्रवृत्ति समिति से जाँच उपरान्त ही शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु का प्रिन्ट आउट निकालकर, छात्रवृत्ति समिति के पास जमाकर प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें।
- छात्रवृत्ति सम्बन्धी नवीनतम जानकारी के लिए वेबसाइट **Scholarship.up.nic.in** का अवलोकन समस्त अभ्यर्थी नियमित रूप से करते रहें।

अल्पसंख्यक वर्ग हेतु सूचना

शासनादेश संख्या 2690 / 52-2004 दिनांक 16-10-2004 द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सामान्य अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं जैसे :- शेख, सैय्यद, खान, मुगल, पठान, शिया, तुर्क को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। जैसे :- गद्दी, बेहना, अंसारी, जुलाहा, तेली, टाइन, मनिहार, फकीर, मलिक, धोबी, मोमिन, अंसार आदि को भी छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सिख, बौद्ध, जैन समुदाय के अभ्यर्थी अल्पसंख्यक वर्ग में आवेदन करेंगे।

नोट- मुस्लिम वर्ग के सभी छात्र/छात्राएँ चाहे वे अन्य पिछड़ा वर्ग/बौद्ध में आते हों, अल्पसंख्यक वर्ग में ही आवेदन करेंगे।

महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ

- शास्ता मण्डल** :- परिचय-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र बनाना तथा महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाये रखना।
- पुस्तकालय/वाचनालय**:- पुस्तकालय एवं वाचनालय सम्बन्धी समस्त कार्य।
- क्रीड़ा समिति**:- क्रीड़ा सम्बन्धी समस्त कार्य।
- महाविद्यालय सम्पत्ति एवं अनुरक्षण तथा विकास समिति** :- महाविद्यालय भवन की मरम्मत एवं अनुरक्षण तथा विकास सम्बन्धी समस्त कार्यों को सम्पादित करना।
- बजट एवं आय-व्यय, आयकर तथा आडिट समिति** :- महाविद्यालय के आय-व्यय तथा सम्प्रेक्षण सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करना।
- विभागीय परिषद् समिति**:- विभागीय परिषद का निर्वाचन कराना तथा उनके क्रियाकलापों का संचालन करना।
- समारोह समिति**:- महाविद्यालय में होने वाले विविध समारोहों को सम्पन्न कराना।
- रोजगार निर्देशन एवं मंत्रणा समिति**:- समय-समय पर विद्यार्थियों को रोजगारोनुख दिशा निर्देश/सलाह देना तथा विज्ञापन प्रसारित कराना।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं महाविद्यालय मूल्यांकन समिति** :- यू०जी०सी० नई दिल्ली से महाविद्यालय के विकास हेतु विविध अनुदानों को प्राप्त करना तथा महाविद्यालय का मूल्यांकन कराया जाना।
- छात्रवृत्ति एवं छात्र कल्याण समिति** :- उ० प्र० सरकार एवं भारत सरकार से महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिये विविध छात्रवृत्ति प्राप्त कराना तथा छात्रों के कल्याणार्थ शुल्क मुक्ति, निर्धन छात्र सहायता बुक बैंक सुविधा उपलब्ध कराना।
- परीक्षा नियंत्रण समिति** :- महाविद्यालय में परीक्षा केन्द्र पर विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित विविध परीक्षाओं का संचालन एवं परीक्षार्थियों की समस्याओं का निवारण करना।

इन समितियों के अतिरिक्त अन्य विविध कार्य महाविद्यालय में सम्पन्न कराये जाते हैं :-

- सूचना प्रसारण** :- महाविद्यालय में प्रवेश से लेकर पठन-पाठन, खेलकूद, विविध प्रतियोगिताओं, समारोह, एवं समस्त परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा रोजगार सूचना तथा अवकाश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें समयानुसार सूचना-पट्ट पर लगाई जाती है। जिससे प्रत्येक विद्यार्थी उससे लाभान्वित हो सके।
- परिचय-पत्र** :- प्रत्येक छात्र को महाविद्यालय का प्रमाणित परिचय-पत्र अपने पास रखना अनिवार्य होगा जिसे वह प्रवेश के एक सप्ताह के अन्दर शास्ता मण्डल कार्यालय से प्राप्त करेगा। परिचय-पत्र खो जाने की स्थिति में रु. 10/- के नोटरी शपथ-पत्र दिये जाने पर ही निर्धारित शुल्क देकर द्वितीय प्रति परिचय-पत्र की प्राप्ति की जा सकेगी।

- 3. क्रीड़ा एवं खेलकूद :-** महाविद्यालय में क्रीड़ा की विभिन्न प्रतियोगिताओं की उचित व्यवस्था है जिससे महाविद्यालय के छात्र / छात्रायें विश्वविद्यालय में प्रति वर्ष अपना स्थान बनाकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी भागीदारी कर सकते हैं।
 - 4. वाचनालय :-** महाविद्यालय का अपना समृद्ध वाचनालय है जिसमें विविध कक्षाओं के विद्यार्थी एवं शोधार्थी लाभ उठाते हैं। वाचनालय में छात्रोपयोगी समस्त पत्र-पत्रिकायें उपलब्ध करायी जाती हैं।
 - 5. महाविद्यालय पत्रिका :-** महाविद्यालय में प्रतिवर्ष एक पत्रिका एवं ई-मैगजीन के प्रकाशन की व्यवस्था की जा रही है जिसमें प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की विविध गतिविधियों, छात्र / छात्राओं के लेख, हास्य व्यंग्य, कवितायें एवं विकास के विविध स्वरूपों के साथ महाविद्यालय के विविध कक्षाओं के परीक्षा परिणाम, मेधावी विद्यार्थियों का विविध रूप चित्रित किया जायेगा।
 - 6. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) :-** महाविद्यालय में एन.एस.एस. की इकाई संचालित है। जिसमें ऑनलाइन प्रवेश होगा। पात्र छात्र-छात्राएं प्रवेश लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
-

गैप इयर हेतु शपथ-पत्र का प्रारूप

(10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं.....पुत्री/पुत्र श्री.....

पता

..... जो आपके महाविद्यालय (राजकीय महाविद्यालय, कुचलाई, सीतापुर) में कक्षा
में प्रवेश लेना चाहता हूँ/ चाहती हूँ।

1. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/ करती हूँ कि मैंने इण्टर में उत्तीर्ण की है इसके बाद वर्ष से वर्ष तक मैंने किसी भी अन्य संस्थागत विद्यालय/ महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है। मैं इस अन्तराल में कारण/ कारणों से प्रवेश नहीं ले सका था/ सकी थी।
2. यदि मेरा उक्त बयान/ घोषणा असत्य किसी अंश तक मिथ्या पायी जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाये। मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वतन्त्र होगा।
3. उक्त शपथ पूर्वक बयान के लिए ईश्वर मेरी मदद करे।

प्रार्थी/अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रार्थी का नाम

पिता का नाम

पता

मोबाइल नं.

स्थान :

तिथि :

महाविद्यालय का कुल-गीत

ज्ञान का केन्द्र, कला का धाम,
क्षेत्र का गौरव दिव्य ललाम।
सृजन का पूर्ण मंच अभिराम,
उच्च शिक्षा का अभिनव धाम।
महाविद्यालय प्यारा है।
यही अभिमान हमारा है॥

सिधौली, नीमसार के बीच,
क्षेत्र को रहा ज्ञान से सींच।
निकट सुन्दर कुचलाई ग्राम,
बन रहा इसका पूरक नाम।
प्रकृति ने इसे सँवारा है।
यही अभिमान हमारा है॥

समेकित शिक्षा का आगार,
जीवनी क्षमता का विस्तार।
जगत की रीति-नीति-व्यवहार,
सीखने का यह सुन्दर द्वार।
लक्ष्य-सोपान हमारा है।
यही अभिमान हमारा है॥

यहाँ की भूमि तपस्या-रूप।
कर्म की फलदायिनी अनूप।
न कोई रंक, न कोई भूप।
सहज समता का भव्य स्वरूप।
सतत् उत्थान हमारा है।
यही अभिमान हमारा है॥

हमारा यह प्यारा परिवार।
सभी पर सदा लुटाता प्यार।
भारे श्रद्धा-विश्वास अपार,
करें अभिनन्दन बारम्बार।
वन्धु-स्थान हमारा है।
यही अभिमान हमारा है॥

-डॉ. राजेन्द्र प्रसार द्विवेदी

असि. प्रोफेसर, हिन्दी

राजकीय महाविद्यालय, कुचलाई, सीतापुर